कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 55 /FP/UK/ROAD/142498/2021 देहरादूनःदिनांक 06 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय– जनपद–बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.945 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–5339/12–1(2) दिनांक 02–06–2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार हैं :–

1. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करने का कष्ट करें।
2. प्रस्ताव में सभी प्रपत्रों को मूल प्रति में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करने का कष्ट करें।
4. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री नवल किशोर द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त हेतु प्रस्ताव में संलग्न Authority Letter में कृष्ण कुमार तिलारा, अधिशासी अभियन्ता, को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–22 बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण–पत्र में सम्बन्धित वन संरक्षक के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
8. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करने का कष्ट करें।
9. लाभान्वित होने वाले ग्रामों की वर्तमान समरेखण एवं वैकल्पिक समरेखण से दूरी प्रस्ताव में अंकित करें।
10. प्रस्ताव के प्रपत्र–16 में परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई के प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं।
11. प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शेड्यूल प्रपत्र–15.1, 15.2 एवं 15.3 में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
12. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या मूल प्रति में प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या 55 /FP/UK/ROAD/142498/2021 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक